न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1458–चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–09–2008 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 163/06–07/अपील

.....

1–भगवानदास पुत्र श्री ग्यासी,
2–श्रीराम पुत्र आनंदी,
3–जगराम पुत्र आनंदी,
4–दयाराम पुत्र मुलुआ गड़रिया
5–राजाराम पुत्र मुलुआ गड़रिया
निवासीगण ग्राम मंगलपुरा टोडा करैरा,
तहसील करैरा, शिवपुरी
जिला शिवपुरी म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

गौरेलाल पुत्र श्री कुवंर राज लोधी (मृत वारिसान)
निवासी टोडा करैरा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी
अ–श्रीमती रसरानी विधवा गोरेलाल
ब–सिकन्दर पुत्र स्व0गोरेलाल
स–राजनसिंह पुत्र स्व0गोरेलाल
द–प्रकाश पुत्र स्व0गोरेलाल
निवासीगण ग्राम मंगलपुरा टोडा, करैरा,
तहसील करैरा, जिला शिवपुरी
इ–श्रीमती रामकुमारी पुत्री स्व0गोरेलाल पत्नी सरमन लोधी
य–श्रीमती प्रभा पुत्री स्व0गोरेलाल पत्नी माली लोधी
निवासीगण ग्राम गढ़िया तहसील व जिला झॉसी उ0प्र0
र–श्रीमती रामवती पुत्र स्व0गोरेलाल पत्नी राकेश लोधी
निवासी ग्राम सिला नगर भजरा पटपरा, तहसील करैरा जिला शिवपुरी
ल–श्रीमती अंगूरी पुत्री स्व0गोरेलाल पत्नी सुरेंद्र लोधी
निवासी ग्राम बडोरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

..... अनावेदकगण

.....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक–अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 11/8/11 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–09–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार न्यायालय, तहसील करैरा जिला शिवपुरी के समक्ष ग्राम टोडा करैरा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 528/1 एवं 530/1 व 549 के पास से शासकीय सर्वे नम्बर से आम रास्ता निकलने बावत् अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 4/अ–13/2004–05 पर दर्ज कार्यवाही की । तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर पारित आदेश दिनांक 02–09–2006 से आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 547 व 548 की मेड़ो से होकर अनावेदक को सर्वे नम्बर 549 की भूमि पर जाने हेतु 10 फीट चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 182/05–06/अपील पर दर्ज की जाकर दिनांक 1–3–2007 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–06 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–3–2007 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 163/06–07/अपील पर दर्ज कर दिनांक 2–9–2008 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश पुर्नस्थापित किया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–08 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया गया कि अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 549 पर जाने हेतु शासकीय भूमि सर्वे कमांक 600 से आम रास्ता है, जो बन्द हो गया है उसे खुलवाया जाना चाहिये था न कि आवेदकगण की भूमि खसरा कमांक 547 व 548 में से नया रास्ता कायम करना चाहिये था । दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किये बिना धारा 131 के अधीन नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है। अनावेदक के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि से ही शासकीय सर्वे कमांक 600 की भूमि से आम रास्ता लगा हुआ है । इस बिन्दु पर तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से विचार नहीं किया गया है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1998 आरएन 333 का भी हवाला दिया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–08 अपास्त किया जाये एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–3–07 स्थिर रखा जाकर निगरानी स्वीकार की जाये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अनावेदक सर्वे कमांक 528/1, 530/1 एवं 549 का भूमिस्वामी है और उसके खेतों पर खेतों पर पहुँचने एवं बैलगाडी आदि ले जाने हेतु एकमात्र रास्ता सर्वे कमांक 600 का है जो सर्वे कमांक 547 व 548 की मेड से होकर जाता है । यह रास्ता रूढिगत रास्ता है, अनावेदक द्वारा नया रास्ता नहीं चाह जा रहा है, जो तहसील न्यायालय में साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है व तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर और प्रस्तुत साक्ष्य का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाकर ही राजस्व अभिलेख में रास्ता कायम करने का आदेश दिया गया है, जो उचित है। अपर आयुक्त द्वारा भी इसकी पुष्टि करने न्यायसंगत कार्यवाही की गई है, जिसे स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया। अंत में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता है।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में मौके पर स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि मौके पर स्थल निरीक्षण किये जाने ही वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकता है तथा दोनों पक्षों की सुविधा समझ में आ सकती है । साथ ही मौके पर रूढ़िगत रास्ता है अथवा नहीं और अनावेदकगण के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है अथवा नहीं, यह स्थिति भी ज्ञात हो सकती है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है । यहॉ यह भी विचारणीय प्रश्न है कि मौके पर अनावेदकगण के लिये सरकारी रास्ता उपलब्ध है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन रास्ता खोलने का आदेश देने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा उपरोक्त वैधानिक एवं तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किये बगैर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं रह जाता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–09–2008 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–3–2007 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर